उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या- 11/2023/33(2)/001-53-2099-1405-2019
लखनऊ : दिनांक 15 मार्च, 2023

**शुद्धि-पत्र**

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-10/2023/33/001-53-2099-1405-2019, दिनांक 14 मार्च, 2023 के प्रस्तर-2 में अंकित "अर्थात कुल रू0 14.00+60.00=200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)'' **के स्थान पर** "अर्थात कुल रू0 140.00+60.00=200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)'' पढ़ा जाय।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 14 मार्च, 2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-11/2023/33(3)/001-53-2099-1405-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय लखनऊ/प्रयागराज।
3- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम) सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
7- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वेबमास्टडर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।